भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 851

दिनांक 02.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

खुले में शौच से मुक्त

851 श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी निधि से निर्मित शौचालयों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 44 प्रतिशत भारतीय अभी भी खुले में शौच करते हैं, यदि हां, तो सरकार द्वारा देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या गांवों में रहने वाले लोगों के लिए शौचालयों तक पहुँच संबंधी अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): राज्यों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर दी गई सूचना के अनुसार, सभी गांवों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया है।

(ख): एसबीएम (जी) के तहत, लगभग 8.77 करोड़ वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) का निर्माण सरकारी निधियन की सहायता से किया गया है।

(ग): 'स्वच्छता एवं पेयजल संबंधी प्रगति - 2015 अद्यतन और एमडीजी आकलन नामक यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 44 प्रतिशत लोग शौच के लिए खुले स्थानों का प्रयोग कर रहे थे। भारत सरकार ने देश के सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर 2 अक्टूबर, 2019 तक देश को ओडीएफ बनाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2014 से 2019 के दौरान 10 करोड़ से अधिक वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सभी गांवों ने स्वयं को 2 अक्टूबर, 2019 तक ओडीएफ घोषित किया। 01 अप्रैल, 2020 से कार्यान्वित एसबीएम (जी) के चरण-II के तहत भी शौचालय की सुविधा से वंचित रह गए अथवा नए बने परिवार को शौचालय सुविधा से कवर करने का प्रावधान किया गया है।

(घ): पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी के माध्यम से तीन राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) किए। एनएआरएसएस 2019-20 के परिणामों के अनुसार 94.4% परिवारों के पास शौचालयों की सुविधा उपलब्ध थी।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

****